

*[Handwritten mark]*

28.12.23 पत्रावली पत्र ठर

वादिनी वकील अदालतवाली वादिनी रसम में उपस्थित नहीं  
श्रावण न्यायालय समय में हजेरा ही वर  
आवाजे रिलाफ) जाने एवं अदालत ठहरने से  
एक वर पुनः आवाज रिलाफ) जाने के उपरोक्त  
की वादिनी एवं उभरे वकील प्रसे जिन्ही के भी  
उपस्थित नहीं होने से लाहिर ठहरा है कि वे  
वाद में देरवी नहीं करना चाहते हैं

मिलाना वाद रूमी मरफक अदालत एकाद एवं  
अदालत देरवी में बाहिर किया जाना है  
पत्रावली उभार उभार ठहरा वादिनी वर

ठा

*[Signature]*  
सहायक कलेक्टर  
SDO सिणधरी

